

कार्यालय :— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

कार्यालय आदेश

क्रमांक : ४५

दिनांक : १५/०२/२०२५

मैं एम. आर. सुथार, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 98 दिनांक 11.05.2015 व 323 दिनांक 11.10.2018 को अतिष्ठित (Supersede) करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 8(8) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा न्यायक्षेत्र के सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीशों/विशिष्ट न्यायाधीश के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश पर अथवा अन्य किसी कारण से मुख्यालय से बाहर रहने अथवा पद रिक्त रहने पर उनके न्यायालय के आवश्यक आपराधिक कार्य के निष्पादन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था कर उनके पदनाम के सामने अंकित पीठासीन अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ।

इसी प्रकार इस न्यायक्षेत्र के जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों का उनकी अनुपस्थिति में आवश्यक दीवानी कार्यों के निष्पादन हेतु भी निम्नलिखित पीठासीन अधिकारीगण को प्राधिकृत करता हूँ :—

क्र. सं.	अनुपस्थित अधिकारी का पद	आवश्यक कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकृत अधिकारी
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा, इनकी अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बालोतरा, इन दोनों की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या—1, बाड़मेर, इन तीनों की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या—2, बाड़मेर तथा इन चारों की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/जनजाति (अ.नि.प्र.), बाड़मेर।
2.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा	विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बालोतरा, इनकी अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा, इन दोनों की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या—1, बाड़मेर, इन तीनों की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या—2, बाड़मेर तथा इन चारों की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/जनजाति (अ.नि.प्र.), बाड़मेर।
3.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या—1, बाड़मेर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या—2, बाड़मेर, इनकी अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/जनजाति (अ.नि.प्र.), बाड़मेर, इन दोनों की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चौहटन, इन तीनों की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा तथा इन चारों की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा।
4.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या—2, बाड़मेर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या—1, बाड़मेर, इनकी अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/जनजाति (अ.नि.प्र.), बाड़मेर, इन दोनों की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चौहटन, इन तीनों की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा तथा इन चारों की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा।

5.	विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), बाड़मेर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, बाड़मेर, इनकी अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2, बाड़मेर, इन दोनों की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चौहटन, इन तीनों की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा तथा इन चारों की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा।
6.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चौहटन	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2, बाड़मेर, इनकी अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, बाड़मेर, इन दोनों की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनु. जाति / जनजाति (अ.नि.प्र.), बाड़मेर, इन तीनों की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा तथा इन चारों की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा। इस न्यायालय व कार्यालय का दैनिक कार्य वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन तथा इनकी अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन।

—सही—

(एम. आर. सुथार)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बालोतरा

क्रमांक : 1927 - 1951

दिनांक: 15/02/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बालोतरा।
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा/चौहटन।
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-01/02, बाड़मेर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), बाड़मेर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं.-01/02, बालोतरा/बाड़मेर।
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन।
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन।
9. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, बालोतरा।
10. अध्यक्ष, अभिभाषण संघ, बाड़मेर/सिवाना/चौहटन/पचपदरा/गुडामालानी/सेडवा/शिव/सिणधरी।
11. रीडर ग्रेड-I, न्यायालय हाजा।
12. सिस्टम अधिकारी, कार्यालय हाजा को निर्देश दिये जाते हैं कि इस आदेश की प्रति इस न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावे।
13. रक्षित पत्रावली।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बालोतरा